(144)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1360–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–1–2016 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 153/अपील/2011–12.

.....

मलखान पुत्र महाराज सिंह
निवासी ग्राम समनापुर तहसील सिलवानी
जिला रायसेन म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

1–बलीराम पुत्र भुग्न्ती लाल
निवासी ग्राम बरछेका तहसील सिलवानी
जिला रायसेन म0प्र0
2–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन
.....अनावेदकगण

श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदक
श्री जगदीश जैन, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–01–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा समनापुर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 86, 92 एवं 93 जुमला रकबा 4.02 एकड़ भूमि कलियाबाई पुत्री रामकिशन के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है और आवेदक कलियाबाई का एकमात्र वारिस है इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामान्तरण किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ होने पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस आशय का की आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी कलियाबाई द्वारा उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नाम दर्ज किया जाये । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 15–11–11 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 5–4–12 को आदेश पारित कर प्रथम अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 27–1–16 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये द्वितीय अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है कि अनावेदक 20 वर्ष तक वसीयत अपने पास रखे रहा और इतनी लम्बी अवधि के बाद वसीयत प्रस्तुत की गई है जो कि संदेह की परिधि में आती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष वसीयत को साक्ष्य से सिद्ध नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा साक्ष्य से सिद्ध किया गया है कि मृतक भूमिस्वामी

कलियाबाई का पुत्र होकर एकमात्र वारिस है । उनके द्वारा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि मृतक भूमिस्वामी कलियाबाई द्वारा अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत को तहसीलदार के समक्ष साक्ष्य से सिद्ध किया गया है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये है जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में वसीयत वर्ष 1970 की है जिसकी दिनांक भी विवादित है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि उभयपक्ष द्वारा वारिस और वसीयत के आधार पर काफी लम्बी अवधि के पश्चात् अपना दावा प्रस्तुत किया गया है । मृतक भूमिस्वामी कलियाबाई की मृत्यु कब हुई है इसकी जानकारी किसी पक्ष को नहीं है, ऐसी स्थिति में मृतक भूमिस्वामी कलियाबाई के वारिसान के संबंध में विस्तृत जॉच की आवश्यकता है । यदि जॉच में कलियाबाई की मृत्यु लावारिस होना पाई जाती है, तब प्रश्नाधीन भूमि शासकीय घोषित की जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त इतनी लम्बी अवधि तक उपरोक्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई, यह भी जॉच का विषय है, अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश

निरस्त किये जाकर प्रकरण उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर